

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.



मि०न० - 08/2020(2020/00050)

अनवान : -

1. भादरसिंह उर्फ भादरराम पुत्र टिकूराम जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

- प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरुस्ती  
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र शर्मा - प्रार्थी

राजपैरोकार - राज० सरकार


निर्णय

दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा ग्राम डाबड़ी के खाता सं० 383/371 के खसरा नम्बर 518 की 10.571 हैक्टेयर कृषि भूमि में सहखातेदारों के साथ प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का सही नाम भादरसिंह के स्थान पर बहादुरसिंह पुत्र टीकूराम दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम भादरसिंह की बजाए बहादुरसिंह दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी का आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड, राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम भादरसिंह दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में भादरसिंह की बजाए बहादुरसिंह दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम बहादुरसिंह के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम भादरसिंह दर्ज करा पाने की मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भादरसिंह के स्थान पर बहादुरसिंह दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम बहादुरसिंह दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थी के ग्राम डाबड़ी में खाता संख्या 383/371 में प्रार्थी का नाम  दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी परोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने ग्राम रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 383/371 के खसरा नम्बर 518 की 10.5710 हैक्टेयर में प्रार्थी के नाम संयुक्त 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि "प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम भादरसिंह के स्थान पर बहादुरसिंह दर्ज हो गया।" जिसके समर्थन में प्रार्थी ने आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेनकार्ड व पासपोर्ट पेश किये हैं जिनमें प्रार्थी का नाम भादरसिंह अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 383/371 के खसरा नम्बर 518 की 10.5710 हैक्टेयर में मुश्तर्का खाता में प्रार्थीया का नाम "बहादुरसिंह के स्थान पर बहादुरसिंह उर्फ भादरसिंह उर्फ भादरराम" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच बहादुरसिंह पुत्र टीकूराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए बहादुरसिंह ही प्रभावी मानी जायेगी तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा के नाम आदेश जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(जयसिंह)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़